भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2566

11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत क्रियाशील आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) की स्थापना

2566. श्री संजय सेठ:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत देश भर में स्थापित क्रियाशील आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुख्यधारा में लाने के लिए निर्धारित वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने आयुर्वेदिक योगों (फ़ॉर्मूलेशन्स) को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किए हैं;

(घ) उच्च मूल्य वाले दुर्लभ औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) निर्यात किए जाने वाले आयुष उत्पादों के गुणवत्ता मानकों का सख्ती से विनियमन करने के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क)**:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से राज्य वार्षिक कार्ययोजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर**,** राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत मौजूदा आयुष औषधालयों एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर देशभर में 12**,**500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों [अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के नाम से ज्ञात] को संचालित करने के लिए अनुमोदित किया गया है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार**,** सभी केंद्र कार्यशील हैं।

(ख): भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) तथा जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की रणनीति अपनाई है, जिसके माध्यम से रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में से अपनी पसंद के अनुसार उपचार प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जबकि एक साझा उत्तरदायित्व के रूप में आयुष संबंधी अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर तथा औषधियों के लिए सहायता राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। 31.12.2025 तक की एनएचएम-एमआईएस डेटाबेस के अनुसार, देशभर में 6,302 पीएचसी, 3,191 सीएचसी तथा 475 डीएच में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक देशभर में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्यधारा में शामिल करने सहित विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 6,406.99 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी की गई है।

(ग): आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी सहित आयुष के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय भारतीय आयुष औषधि निर्माताओं/आयुष सेवा प्रदाताओं को आयुष उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है; आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार, विकास एवं मान्यता को सुगम बनाता है; हितधारकों के बीच परस्पर सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार विकास को प्रोत्साहित करता है तथा विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना एवं आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता एवं रुचि को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं विस्तार हेतु 27 देश स्तरीय समझौता ज्ञापन, 16 आयुष अकादमिक पीठ संबंधी समझौता ज्ञापन तथा संस्थान-से-संस्थान स्तर के 57 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ): वर्तमान में, एनएमपीबी के अंतर्गत औषधीय पौधों की खेती के लिए कोई योजना नहीं है। तथापि, एनएमपीबी देशभर में "औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास एवं सतत् प्रबंधन" विषयक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के लिए परियोजना-आधारित सहायता प्रदान करना है। औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रगामी एवं पश्चगामी संबंध (एकीकृत घटक) इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना का एक घटक है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है:

- एनएमपीबी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पौधों, जिनमें उच्च मूल्य वाले संकटग्रस्त औषधीय पौधे भी शामिल हैं, की खेती के लिए रोपण सामग्री तैयार करने हेतु आवश्यक अवसंरचना।
- किसानों को औषधीय पौधों की खेती के संबंध में जागरूक करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंधी गतिविधियाँ।
- औषधीय पौधों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उत्पाद का मूल्यवर्धन करने, लाभप्रदता बढ़ाने तथा होने वाली क्षति को कम करने के लिए कटाई उपरांत प्रबंधन एवं विपणन संबंधी अवसंरचना।
- कच्चे माल का गुणवत्ता परीक्षण एवं प्रमाणीकरण।

आयुष मंत्रालय के अधीन एनएमपीबी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजना के "औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में अग्रगामी एवं पश्चगामी संबंध (समेकित घटक)" के अंतर्गत विभिन्न संगठनों को 12 परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।

(ङ): आयुष मंत्रालय ने आयुष औषधियों के लिए गुणवत्ता पारितंत्र को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं, जिनमें आयुष औषधियों के निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता प्रदान करना भी शामिल है:

i. आयुष मंत्रालय, आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को क्रमशः डब्ल्यूएचओ-जीएमपी और राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) जैसे उच्च मानकों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) और अन्य संबंधित वैज्ञानिक संस्थानों तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों के विकास और प्रत्यायन/प्रमाणीकरण में भी सहायता प्रदान की जाती है।

ii. आयुष मंत्रालय द्वारा औषधि नियम, 1945 के नियम 160-क से 160-ञ के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को आयुष दवाओं की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता और शक्ति से संबंधित परीक्षण करने के लिए अनुमोदित किया गया है। आदिनांक, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 118 निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे परीक्षण करने के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि निरीक्षकों द्वारा लिए गए वैध नमूनों के परीक्षण के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में 34 औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं।

iii. आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच), आयुष औषधियों के लिए फार्माकोपियल मानक और फार्मूलरी विनिर्देश विकसित करता है, जो उनकी पहचान, शुद्धता और शक्ति निर्धारित करने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत इन मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। पीसीआईएमएंडएच आयुष औषधियों के लिए अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है और आयुष औषधियों के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करने के लिए औषधि नियामक प्राधिकरणों, औषधि विश्लेषकों और अन्य हितधारकों के लिए मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण पद्धतियों पर नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

iv. आयुष औषधियों के लिए डब्ल्यूएचओ फार्मास्युटिकल उत्पाद प्रमाणपत्र (डब्ल्यूएचओ-सीओपीपी) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी किया जाता है, जो आयुष क्षेत्र में तैनात औषधि निरीक्षकों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और सीडीएससीओ के औषधि निरीक्षकों के साथ संयुक्त निरीक्षण के बाद जारी किया जाता है, ताकि हर्बल दवाओं के लिए डब्ल्यूएचओ तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला (टीआरएस) दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

v. आयुष मंत्रालय ने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषएक्सिल) के माध्यम से आयुष गुणवत्ता चिह्न (एक्यूएम) पहल शुरू की है। इस ढांचे के तहत, सक्षम सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी वैध गुणवत्ता प्रमाणपत्रों और वैधानिक अनुमोदनों, जैसे कि डब्ल्यूएचओ-जीएमपी, आयुष प्रीमियम चिह्न और अन्य मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रों की जांच और सत्यापन के बाद आयुष गुणवत्ता चिह्न प्रदान किया जाता है।

vi. आयुष दवाओं को भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के आधार पर आयुष मानक चिह्न और आयुष प्रीमियम चिह्न प्रदान किए जाते हैं।
